



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh
स्मरण-पत्र-1

तत्काल तिथिबद्ध
सेवा में,

सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला),
राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)
(हरियाणा राज्य में)।

यादि क्रमांक टी-4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/ 2156
दिनांक 2-12-15

विषय:- पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तू जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वर्ष 2015-16 से (On Line) आन लाईन अपलोड करने बारे।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक टी-4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/1766-67
दिनांक 16.10.2015 के सन्दर्भ में।

आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा भेजी गई हिदायतों के अनुसार पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तू जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वर्ष 2015-16 से (On Line) आन लाईन अपलोड करने के लिए प्रत्येक संस्थान का मुखिया उक्त विभाग द्वारा दर्शाई गई वेबसाईट (http://www.haryanawelfare_schemes.org/login.aspx) पर शीघ्र अपना डाटा व अपने संस्थान का डाटा भरकर अपने संस्थान को रजिस्टर्ड करवाएंगे, तथा संस्थान में प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तू जातियों के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2015 तक हर हालत में (On Line) आन लाईन अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी संस्थानों के मुखिया छात्र/छात्राओं के (On Line) किये गए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के प्रिन्ट की हार्ड प्रति छात्र/छात्राओं के दस्तावेजों के साथ संलग्न करके अपने कार्यालय रिकार्ड में रखेंगे।

उक्त आदेशों की दृढता से पालना करें।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-III)

कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

- पृष्ठांकन क्र० टी-4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/ 2157 दिनांक 2-12-15
- उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-
1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा उनके पत्र क्रमांक DNS/2015/21189-93, Dated: 9-10-2015 के संदर्भ में।
 2. सहायक निदेशक (योजना)।
 3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-4)। आपसे अनुरोध है कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यवाही अपने स्तर पर पूर्ण करवाएं।
 4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट। विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-III)

कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।